म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी
भोपाल

निविदा

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य संचालन हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन (कलेक्टर भोपाल द्वारा निर्धारित दर) पर (1) डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, (2) सुरक्षा कर्मी (हथियार सहित व हथियार रहित) (3) सफाई कर्मचारी (कार्यालयीन सफाई संबंधी कार्य हेतु) सेवायें प्रदायकर्ता पंजीकृत फर्म/संस्था से दरें आमंत्रित हैं ।

निविदा की शर्तें बोर्ड की बेवसाईट www.mppcb.nic.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं । निविदा प्रपत्र बोर्ड कार्यालय से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर में दिनांक 22/09/2014 तक रूपये 2000/– शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदायें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 23/09/2014 को मध्यान्ह 3.00 बजे है । निविदा उसी दिन सायंकाल 4.00 बजे खोली जायेंगी । आवेदक संस्था पृथक–पृथक/ एकल निविदा प्रस्तुत कर सकती है । पृथक निविदा प्रस्तुत किये जाने पर धरोहर राशि पृथक से जमा करनी होगी ।

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी
भोपाल

निविदा

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य संचालन हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर (1) डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, (2) सुरक्षा कर्मी (हथियार सहित व हथियार रहित) (3) कार्यालयीन सफाई संबंधी कार्य हेतु सेवायें प्रदायकर्ता पंजीकृत फर्म/संस्था से निम्नांकित शर्तो के अधीन पृथक–पृथक/एकल निविदा आमंत्रित की जाती है :–

:– निविदाकार हेतु आवश्यक शर्ते :–

1. दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने वाली फर्म/एजेंसी का म0प्र0 शासन के नियामनुसार संबंधित विभाग में सेवा प्रदाय हेतु पंजीयन अनिवार्य होगा।
2. संबंधित फर्म/एजेंसी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, सिक्यूरिटी एक्ट 2005 एवं गुमाश्ता लाएसेंस के अधीन नियमानुसार पंजीयन अनिवार्य होगा।
3. संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए जाने वाले डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक के ईपीएफ/ईएसआई का भुगतान करना होगा, जिसके लिए राशि म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।
4. संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराए गए डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी व सफाई कर्मी को प्रत्येक माह कलेक्टर दर पर दैनिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा । समय समय पर श्रम विभाग/कलेक्टर द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की दरों का पालन संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. संबंधित फर्म/एजेंसी को शासन द्वारा निर्धारित सेवा कर (सर्विस टैक्स) का

6. संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु सेवा शुल्क (सर्विस चार्जेस) का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।

7. संबंधित फर्म द्वारा सभी आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराये गये डीईओ, सुरक्षाकर्मी तथा सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है ।

8. संबंधित फर्म द्वारा भुगतान किये गये ईपीएफ, ईएसआई, सर्विस टेक्स, इनकमटेक्स इत्यादि देय सभी करों की जमा करने वाली रसीद की एक प्रति राशि जमा करने के 30 दिवस (एक माह) के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराई जाना आवश्यक होगा ।

9. संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए गए डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, वैध शस्त्र लायसेंस, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र आदि की सत्यता प्रमाणित की जाएगी।

10. दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु संबंधित फर्म/एजेंसी की दरें एक वर्ष हेतु मान्य होंगी। इसके लिए अनुमोदित न्यूनतम दर पर संबंधित फर्म/एजेंसी से विभाग द्वारा एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार दोनो पक्षों की सहमति से अवधि की वृद्धि की जा सकेगी।

11. संबंधित फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराए जाने वाले डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक को विभाग में अन्य किसी भी सुविधा, भत्ते की पात्रता नहीं होगी और न ही उसे विभाग में नियमित अथवा स्थाई नियुक्ति का अधिकार होगा।

12. निविदाकार फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय धरोहर राशि के रूप में रूपए 5000.00 (पांच हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के नाम से जमा कराई जाना होगी, जो निविदा स्वीकृत न होने की दशा में संबंधित फर्म/संस्था को वापसी योग्य होगी।

13. फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मी अच्छे चाल-चलन के होंगे, वे आपराधिक चरित्र का न हो तथा सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मी ड्यूटी पर सदैव स्वच्छ वर्दी में रहेगे।

14. फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए गए डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी/अकुशल श्रमिक के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद

होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व प्रदाता फर्म/संस्था का होगा। कभी किसी प्रकार की यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता फर्म/संस्था की होगी।

15. फर्म/एजेंसी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी पर प्रदाय करने के लिए इस कार्यालय से आदेश जारी होने के बाद आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर प्रदाता फर्म/संस्था को रूपये 100.00 (एक सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से रू. 25000.00 की धरोहर राशि एफडीआर के रूप में उपलब्ध करानी होगी। निविदाकार को निर्धारित शर्तो के अधीन दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराना होगा। यदि नियमानुसार अनुबंध करने एवं दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि बोर्ड के पक्ष में राजसात की जाएगी। दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक प्रदाता फर्म/संस्था अथवा म0प्र0 शासन किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर उक्त अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा, परन्तु डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी की कार्य हेतु उपयुक्तता, सेवा की गुणवत्ता आदि को देखते हुए अनुबंध की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकेगी। अनुबंध के पूर्व फर्म/संस्था को डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक का प्रोवीडेंट फंड अकाउंट नं. प्रस्तुत करना होगा तथा अंडर टेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि फर्म/संस्था द्वारा डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी अकुशल श्रमिक के ईपीएफ एवं ईएसआई की राशि नियमित रूप से उनके खाते में जमा कराई जाती रहेगी अथवा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जा सकेगा।

16. निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा प्रपत्र एवं प्रदाता फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभिन्न सत्यापित अभिलेख भी अनुबंध के अंग होंगे।

17. अनुबंध अवधि में कोई अन्यशर्त मान्य नही होगी। यदि उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त ऑफर में अन्य शर्ते दी जाती हैं तो निविदा मान्य नही होगी।

18. देयक से नियमानुसार समय समय पर प्रचलित आयकर (टीडीएस) की कटौती की जावेगी। इस हेतु दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी व सफाई कर्मी श्रमिक प्रदाता फर्म/संस्था को अपना पैन कमांक देना होगा, जिसका उल्लेख निविदा/देयकों पर होना अनिवार्य है। इसी आधार पर संबंधित फर्म/संस्था को टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

19. किसी भी निविदा को बिना को कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल को होगा।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा।

21. समिति द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा तथा चाहे गए सभी आवश्यक अभिलेखों की विश्लेषण उपरांत तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जावेगा।

22. सुरक्षा व्यवस्था हेतु समस्त सामग्री, उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। बोर्ड में सुरक्षाकर्मी रात्रि 10.00 से सुबह 06.00 बजे तक कार्य करेंगे। सप्ताह में अवकाश श्रमिक अधिनियम के प्रावधान अनुसार सर्विस प्रोवाईडर द्वारा देय होगा।

23. सुरक्षा एजेंसी द्वारा डिप्लॉयमेंट प्लान संस्था प्रमुख से अनिवार्यतः अनुमोदित कराया जाएगा।

24. सुरक्षा कर्मी की आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक न हो। सभी सुरक्षा कर्मी शारिरिक एवं मानसिक रूप से फिट होना अनियार्य होगा।

25. सुरक्षाकर्मी की ड्रेस एवं आवश्यक सामाग्री (यूनिफार्म, लाठी, वॉकी-टॉकी, टार्च, सीटी आदि) की व्यवस्था का उत्तरदायित्व चयनित संस्था का होगा।

26. ठेकेदार को निम्नलिखित अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इनसे संबंधित समस्त भुगतानों की जवाबदेही भी ठेकेदार की होगी –

1. न्यूनतम वेतन अधिनियम ।
2. श्रम अधिनियम ।
3. वेतन एवं बोनस एक्ट ।
4. ईएसआई एक्ट ।
5. इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट ।
6. वर्क्स मेन कॉपन्सेशन एक्ट ।
7. ईएसआई ।
8. ईपीएफ अधिनियम ।
9. सेवा कर अधिनियम ।

इसके अतिरिक्त भी किसी अधिनियम का यदि श्रम कानून अथवा अन्य कानून के अन्तर्गत पालन करना अनिवार्य हो तो इसका पालन भी ठेकेदार की जवाबदेही होगी।

27. अनुबंधकर्ता अधिकारी द्वारा किया गया अनुबंध किसी भी समय एक माह के लिखित नोटिस द्वारा भंग किया जा सकेगा। अनुबंध भंग होने की स्थिति में ठेकेदार को

कारण जानने का अथवा किसी भी प्रकार की संभावित क्षति की पूर्ति हेतु दावा करने का अधिकार नही होगा।

28. समस्त कर्मचारी अनुबंध शर्तों के अधीन कार्य करेंगे, किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति, अवकाश, बीमारी आदि की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।

29. कर्मचारियों की उपस्थिति पंजीका दैनिक पारी अनुसार सत्यापन किया जाएगा, निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के पारिश्रमिक से कटौती की जावेगी, सुरक्षा कर्मचारियों के असंवैधानिक/अनैतिक कार्य में लिप्त पाए जाने पर तत्काल कार्य से हटाना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की 3 वार पुनरावृत्ती होने पर संस्था का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

30. ठेकेदार की किसी कर्मचारी की कर्तव्य स्थल पर या कर्तव्य स्थल से बाहर दुर्घटना होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

31. न्यूनतम दर वाली निविदा मान्य की जावेगी ।

32. सफल निविदाकार अनुबंध पश्चात् निर्धारित दिनांक से कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो उसका ठेका समाप्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

33. ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को ई.पी.एफ. के जो अंशदान जमा किये जावेंगे, उनके बैंक चालान फार्म की प्रमाणित प्रति, कर्मचारियों के खाता कमांक सहित अगले माह के भुगतान देयको के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उस माह का भुगतान नहीं किया जावेगा।

34. दिये गये प्रपत्र को पूर्ण कर निविदाकर्ता प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

35. मुख्य रसायनज्ञ, प्रशासन द्वारा सुरक्षा/सफाई व्यवस्था से संतुष्ट न होने पर अर्थ दण्ड अधिरोपित कर सकेंगे (कम से कम 500/- एवं अधिक से अधिक 2500/-)

36. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परिसर में किसी भी प्रकार की चोरी अथवा नुकसान पहुंचने की स्थिति में संस्था से नुकसान की भरपाई कराई जावेगी।

37. सफाई व्यवस्था संबंधी सेवा प्रदाय कर्ता को बोर्ड मुख्यालय, प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं उसके आस-पास के समस्त खुले क्षेत्र की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु कम से कम 4 सफाई कर्मचारी प्रातः 8.30 बजे से मध्यान्ह 3.30 बजे तक

एवं एक सफाई कर्मचारी प्रातः 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक नियुक्त करना होगा, सफाई सेवा प्रदायक संस्था द्वारा निम्न कार्यवाही का संचालन करना होगा :-

1 प्रतिदिन झाडू एवं पोंछा ।

2 प्रतिदिन डस्टिंग टेबिल, कुर्सी, दीवारों, खिड़की, दरवाजे, ग्रिल समस्त स्थल ।

3 प्रति सप्ताह कुर्सियों की ड्राय सफाई ।

4 प्रतिदिन समस्त टॉयलेट की साफ-सफाई ।

5 प्रतिदिन डस्टबिन की साफ-सफाई ।

6 प्रतिदिन टॉयलेट में फिनायल गोली डालना ।

7 प्रतिदिन ब्रास कोम पोलिशिंग ।

8 प्रतिदिन डेकोरेटिव प्लान्ट एवं शॉ पीसेस की साफ-सफाई ।

9 कारपेट व बिल्डिंग के फ्लोर इत्यादि की धुलाई प्रति सप्ताह ।

36 साफ सफाई में लगने वाली समस्त सामग्री ठेकेदार की सूची निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी जो बोर्ड द्वारा साफ-सफाई कार्यो हेतु उपलब्ध करवाई जावेगी।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

निविदा प्रपत्र

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी
भोपाल

वर्ष 2014-14 हेतु दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी **अकुशल श्रमिक प्राप्त करने हेतु निविदा प्रपत्र**

1. फर्म/संस्था का नाम ....

2. फर्म/संस्था का पूर्ण पता ....

3. दूरभाष कमांक कार्यालय .... फैक्स ....

मेबाइल .... ई-मेल ....

4. फर्म/संस्था का पंजीयन कमांक (प्रमाणि छायाप्रति सहित)

4.1 सर्विस टैक्स हेतु ....

4.2 सिक्युरिटी एक्ट 2005 के अन्तर्गत ....

4.3 कर्मचारी भविष्य निधि हेतु ....

4.4 कर्मचारी राज्य बीमा निगम हेतु ....

4.5 गुमाश्ता लाएसेंस हेतु ....

5. फर्म/संस्था का पैन कमांक (प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें) ....

6. धरोहर राशि का विवरण – बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक कमांक ....

दिनांक .... शाखा का नाम ....

7. फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तावित दर ....

कं.	पदनाम	दैनिक वेतन के आधार पर मासिक दर	ईपीएफ की राशि	ईएसआई की राशि	सर्विस टैक्स की राशि	सर्विस चार्ज की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर डाटा ऐन्ट्री					

	ऑपरेटर					
2	दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर सुरक्षा कर्मी शस्त्र सहित					
3	दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर सुरक्षा कर्मी बिना शस्त्र					

हस्ताक्षर

फर्म/संस्था का नाम

घोषणा – पत्र

मैं .... पिता का नाम ....
फर्म/संस्था का नाम .... यह सत्य निष्ठा है कि घोषणा करता हूं कि उपरोक्तानुसार कमांक 1 से 7 भरा गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर

फर्म/संस्था का नाम